

राजस्थान सरकार

राजस्थान के न्यायालय-2021

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय

--: आदेश --:

जि.का.डी.के. की कापी

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... व भू.अ.नि. .... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार गुड़ामालानी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... तहसील गुड़ामालानी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी सम्वत् 2023 ..... में खाता संख्या ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	बोरली	87	872/9	अवालीकेडे डे सुजाकेडे डु चमडीकेडे	सुजाकेडे डु चमडीकेडे



(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड पीठासीन अधिकारी लालानी  
लोक अदालतउपखण्ड अधिकारी एवं 2021  
पदेन सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानीक्रमांक - 128-130  
प्रतिलिपि -

दिनांक- 25/10/21

1. तहसीलदार गुड़ामालानी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सुजाकेडे डु चमडीकेडे को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावाली।


(प्रमोद कुमार)  
पीठासीन अधिकारी लालानी  
लोक अदालतउपखण्ड अधिकारी एवं 2021  
पदेन सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी